न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 451/2023

अनवान : –

1. महादेव बलारा पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. रामलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर
2. भागीरथ पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 आरटीए उपनिवेशन अधिनियम की शर्त 80(2)</u>

उपस्थिति :– श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

<u>निर्णय</u> दिनांक: 20/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी की वाके रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के चक 5 पी.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. नया पुरान 37–40 के प.न. 96 / 35 मु.न. 25 के किला नं. 3,6 , 8 से 16, 25 की भूमि तथा प.न. 96 / 43 मु.न. 26 के किला नं. 9, 11, 12, 20 की खातेदारी कृषि भूमि है तथा प्रतिवादी सं. 1 की प.न. 96 / 34 मु.न. 24 के किला नं. 21, 22 प.न. 96 / 35 मु.न. 25 के किला नं. 1,2,8 व 13, 14 15 तथा प.न. 96 / 42 मु.न. 23 के किला नं. 15 से 19, 21 , 22 तथा प. न. 96 / 43 मु.न. 26 के किला नं. 11 से 15 की भूमि जो जमाबन्दी सम्बत 2076 से 2079 के खाता सं. 48–47 में दर्ज है तथा इसी प्रकार से प्रतिवादी सं. 2 की प. न. 96 / 42 मु.न. 23 के किला नं. 3 से 5 व 8 व प.न. 96 / 43 मु.न. 26 के किला नं. 13 से 15 की भूमि है जो खाता सं. 36–39 में दर्ज है।

वादी की उक्त भूमि के प.न. 96 / 35 मु.न. 25 के किला नं. 8, 13 से 15 में प.न. 96 / 43 मु.न. 26 के किला नं. 11, 12 में एक –एक बिस्वा भूमि कम दर्ज कर यह भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खाता में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर रखा है तथा इसी प्रकार से प्रतिवादी सं. 2 भागीरथ की उक्त भूमि में प.न. 96 / 43 मु.न. 26 के किला नं. 13 से 15 में एक –एक बिस्वा भूमि कम दर्ज कर यह भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खाता में गैर मुमकिन रास्ता की भूमि दर्ज कर रखी है जो कतई गलत दर्ज कर रखी है क्योंकि मौका पर इस भूमि में कोई चालु शुदा रास्ता नही है तथा इससे वादी के काश्तकारी [illegible] हनन होता है तथा वादी अपनी कृषि भूमि होने की घोषणा करवाने व उक्त [illegible] करवाकर यह भूमि वादी अपने व प्रतिवादी सं. 2 के खाता में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:59:19 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को कई बार कहा कि वो अपने खाता में दर्ज उक्त गैर मुमकिन को दुरूस्त करवाकर वादी व प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज दर्ज करवा देवे तो पहले तो

उपखण्ड अधिकारी नोहर Rahul

वह आजकल–आजकल करता रहा और बिल आखिरकार बमुकाम बिरकाली ऐसा करने से कतई इन्कार हो गया और कहा कि आप अदालत में दावा कर दो लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है। इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अत वाद वादी प्रस्तुत करके अर्ज है कि वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे कि वाके चक 5 पी.पी.एम. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2079 के खाता सं. नया 37 पुरान 40 जो वादी के नाम से दर्ज है के प. न. 96/35 मु.न. 25 के किला नं. 8, 13 से 15 व प.न. 96/43 मु.न. 26 के किला नं. 11, 12 में प्रत्येक किला में 0.2530 हैक्टर भूमि का वादी खातेदार काश्तकार हे। तथा इसी प्रकार से खाता सं. 36–39 के प.न. प.न. 96/43 मु.न. 26 के किला नं. 13 से 15 प्रत्येक किला में 0.2530 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी सं. 2 भागीरथ खातेदार काश्तकार हे। प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज जमाबन्दी सम्बत 2076 से 2079 के खाता सं. 48–47 के प.न. 96/35 मु.न. 25 के किला नं. 8/1 व 13/1 व 14/1 व 15/1 में व प. न. 96/43 मु.न. 26 के किला नं. 11/1 व 12/1 में दर्ज गै.मु. रास्ता को खारीज कर यह भूमि वादी के उक्त खाता व किला नम्बरों में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से कलमजद की जावें तथा इसी प्रकार से प्रतिवादी सं. 1 के उक्त ता के प.न. 96/43 मु.न. 26 के किला नं. 13/1 व 14/1 व 15/1 में दर्ज गैर मुमकिन रास्ता को खारीज कर यह भूमि प्रतिवादी सं. 2 भागीरथ के उक्त खाता में इन्ही किला नम्बरो में दर्ज कर वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 भागीरथ के उक्त किलो को पूर्ण कर 0.2530 हैक्टर भूमि रकबा दर्ज किया जावें तथा इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अकन करने का आदेश तहसीलदार नोहर को दिया जावे

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 5 पीपीएम सम्वत 2076–79 खाता स0 48 व 37, 36 ईएक्सपी–1 ता 3, चित्रप्रति नजरी नक्शा चक 5 पीपीएम पेश किये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जाकर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया। तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार नोहर द्वारा मौका रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई की चक 5 पीपीएम के महादेव , रामलाल व भागीरथ पि० सुरजायम जाति जाट तीनों भाईयो द्वारा सहमति से खाता विभाजन के वक्त रामलाल के हिस्सा में आई भूमि प०न० 96/34 मु०न० 24 के किला न० 21, 22 एवं प०न० 96/35 मु०न० 25 के किला न० 1 व 2 के लिए रास्ता नहीं होने के कारण महादेव ने अपनी भूमि प०न० 96/35 मु०न० 25 के किला न० 8 , 13, 14, 15 तथा 96/43 मु०न० 26 के किला न० 11 व 12 तथा भागीरथ ने अपनी भूमि प०न० 96/43 मु०न० 26 के किला न० 13, 14, 15 में से 1–1 बिश्वा भूमि रास्ता के रूप में देने की सहमति दी गई। उक्त खातेदारी भूमि को महादेव व भागीरथ बनाम रामलाल ने जरिये प्रार्थना पत्र / वाद गै०मु० रास्ता दर्ज करवाने हेतु दायर किया , जिसका निर्णय श्रीमान उपखंडाधिकारी नोहर द्वारा अपने पत्रांक 754 दिनांक 12.11.2009/25 द्वारा किया जाकर उक्त भूमि को गै०मु० रास्ता दर्ज करने के आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:59:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
Rahul.

जारी किए। उक्त निर्णय आदेश की पालना मे इंतकाल 104 दिनांक 07.01.2010 को स्वीकृत होकर गै०मु० रास्ता दर्ज हुआ। खाता विभाजन के समय तो रामलाल को अपनी भूमि मे जाने का रास्ता नहीं था लेकिन देवेन्द्र , भागीरथ , महेंद्र बनाम भागीरथ पुत्र पतराम एवं संतलाल पुत्र भागीरथ के नाम से पत्थर लाईन न० 96/37 से 96/33 तक चार मुरब्बो मे प्रत्येक मुरब्बा के किला न० 1, 10, 11, 20, 21 मे रास्ता स्वीकृत करवाने का वाद दायर होने पर जिसका निर्णय दिनांक 05.07.2022 को श्रीमान उपखंड अधिकारी नोहर द्वारा किया जाकर वाद मे वाहे अनुसार रास्ता मंजूर किया गया। उक्त निर्णय की पालना मे जरिये इंतकाल दिनांक 7.7.2022 राजस्व रिकॉर्ड मे नया रास्ता स्वीकृति का अंकन किया गया। (निर्णय दिनांक 05.07.2022 की प्रति एवं रामलाल की चालु जमाबन्दी जिसमे निर्णय अनुसार प०न० 96/34 के किला न० 21 एवं प०न० 96/35 किला न० 1 मे रास्ता की प्रविष्टि दर्ज है। कार्यवाही उपरान्त मौके पर रास्ता खुलवाकर चालू करवाया गया जो कि पिछले 3 वर्षो से निर्बाध रूप से चालू है तथा सभी संबन्धित काश्तकारों को सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध है। उपरोक्त आदेशो की पालना मे जो रास्ता मंजूर होकर 3 वर्षो से चल रहा है जो रामलाल की भूमि प०न० 96/34 के किला न० 21 एवं प०न० 96/35 के किला न० 1 से होकर आगे उतर दिशा मे गुजरता है , इसमे पूर्णरूप से स्पष्ट है कि रामलाल को अपनी उक्त भूमि मे आगमन करने का नया तथा सुगम रास्ता उपलब्ध हो गया है। अन्य काश्तकारों के साथ रामलाल को एक सार्वजनिक 16 फीट चौड़ाई (2 बिश्वा) का रास्ता उसकी भूमि मे गुजर कर प्राप्त हो चुका है , इसलिए पूर्व मे सहमति के आधार पर रखे गए प०न० 96/35 के किला न० 8 , 13, 14, 15 एवं 96/43 किला न० 11, 12, 13, 14, 15 के रास्ते की अब कोई आवश्यकता नहीं है , जो मौके पर चालू नहीं है। सहमति से रखे गए रास्ता प०न० 96/35 के किला न० 8, 13, 14, 15 एवं 96/43 के किला न० 11, 12, 13, 14, 15 का खारिज किया जाना उचित है।

बहस वकील वादी सुनी गई। हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वादी की उक्त भूमि के प.न. 96 / 35 मु.न. 25 के किला नं. 8, 13 से 15 में प.न. 96 / 43 मु.न. 26 के किला नं. 11, 12 में एक –एक बिस्वा भूमि कम दर्ज कर यह भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खाता में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर रखा है तथा इसी प्रकार से प्रतिवादी सं. 2 भागीरथ की उक्त भूमि में प.न. 96 / 43 मु.न. 26 के किला नं. 13 से 15 में एक –एक बिस्वा भूमि कम दर्ज कर यह भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खाता में गैर मुमकिन रास्ता की भूमि दर्ज कर रखी है जो कतई गलत दर्ज कर रखी है क्योंकि मौका पर इस भूमि में कोई चालु शुदा रास्ता नही है तथा इससे वादी के काश्तकारी हकुक का हनन हो[illegible] कृषि भूमि होने की घोषणा करवाने व उक्त भूमि में दर्ज रास्ता निरस्त [illegible] वादी सं. 2 के खाता में दर्ज करवाने का अधिकारी है। तह[illegible]षित रिपोर्ट से वादी के कथनों की पुष्टि होती है अर्थात वादी व प्रतिवादीगण द्वारा सहमति [illegible] जो रास्ता स्वीकृत करवाया गया था उक्त रास्ता का कोई उपयोग नही है क्योकि प्रतिवादी स0 1 को उक्त रास्ता के अलावा खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:59:19 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

विभाजन के समय दुसरा रास्ता दिया जा चुका है एवं प्रतिवादी स 1 इसी रास्ता से आवागमन करता है इसलिए प०न० 96/35 के किला न० 8, 13, 14, 15 एवं 96/43 के किला न० 11, 12, 13, 14, 15 का कोई औचित्य नही है। अत वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वाके चक 5 पी.पी.एम. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2079 के खाता सं. नया 37 पुरान 40 जो वादी के नाम से दर्ज है के प. न. 96/35 मु.न. 25 के किला नं. 8, 13 से 15 व प.न. 96/43 मु.न. 26 के किला नं. 11, 12 में प्रत्येक किला में 0.2530 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार से खाता सं. 36–39 के प. न. प.न. 96/43 मु.न. 26 के किला नं. 13 से 15 प्रत्येक किला में 0.2530 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी सं. 2 भागीरथ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज जमाबन्दी सम्बत 2076 से 2079 के खाता सं. 48–47 के प.न. 96/35 मु.न. 25 के किला नं. 8/1 व 13/1 व 14/1 व 15/1 में व प.न. 96/43 मु.न. 26 के किला नं. 11/1 व 12/1 में दर्ज गै.मु. रास्ता को खारीज कर यह भूमि वादी के उक्त खाता व किला नम्बरों में मुमकिन दर्ज की जाती है तथा प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है तथा इसी प्रकार से प्रतिवादी सं. 1 के उक्त खाता के प.न. 96/43 मु.न. 26 के किला नं. 13/1 व 14/1 व 15/1 में दर्ज गैर मुमकिन रास्ता को खारीज कर यह भूमि प्रतिवादी सं. 2 भागीरथ के उक्त खाता में इन्ही किला नम्बरो में दर्ज कि जाती है तथा प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाता है एवं वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 भागीरथ के उक्त किलो को पूर्ण कर 0.2530 हैक्टर भूमि रकबा दर्ज किया जाता है। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ...20/01/26..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:39:19 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 451/2023

अनवान : –

1. महादेव बलारा पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. रामलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर
2. भागीरथ पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 451 सन 2023 निर्णय दिनांक 20/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री हरिसिंह सिहाग एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वाके चक 5 पी.पी.एम. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2079 के खाता सं. नया 37 पुरान 40 जो वादी के नाम से दर्ज है के प. न. 96/35 मु.न. 25 के किला नं. 8, 13 से 15 व प.न. 96/43 मु.न. 26 के किला नं. 11, 12 में प्रत्येक किला में 0.2530 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार से खाता सं. 36–39 के प.न. प.न. 96/43 मु.न. 26 के किला नं. 13 से 15 प्रत्येक किला में 0.2530 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी सं. 2 भागीरथ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज जमाबन्दी सम्बत 2076 से 2079 के खाता सं. 48–47 के प.न. 96/35 मु.न. 25 के किला नं. 8/1 व 13/1 व 14/1 व 15/1 में व प.न. 96/43 मु.न. 26 के किला नं. 11/1 व 12/1 में दर्ज गै.मु. रास्ता को खारीज कर यह भूमि वादी के उक्त खाता व किला नम्बरों में मुमकिन दर्ज की जाती है तथा प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है तथा इसी प्रकार से प्रतिवादी सं. 1 के उक्त खाता के प.न. 96/43 मु.न. 26 के किला नं. 13/1 व 14/1 व 15/1 में दर्ज गैर मुमकिन रास्ता को खारीज कर यह भूमि प्रतिवादी सं. 2 भागीरथ के उक्त खाता में इन्ही किला नम्बरो में दर्ज कि जाती है तथा प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाता है एवं वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 भागीरथ के उक्त किलो को पूर्ण कर 0.2530 हैक्टर भूमि रकबा दर्ज किया जाता है। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:59:19 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर